


माग - ५

संघ * अनुरूपेद ५२-१५१

राष्ट्रपती :-



अनुरूपेद-५२ :- राष्ट्रपति का पद → राष्ट्रपति द्वारा का आैपचारिक (नाम मात्र के लिए) प्रमुख होता है। आैपचारिक प्रमुख के द्वारा राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है।

अनुरूपेद ५३ :- कार्यपालिका का आैपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात् यही कार्य राष्ट्रपति के हस्तान्तर के बाद किया जायेगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान PM होता है।

अनुरूपेद-५४ → राष्ट्रपति का निर्वाचन → इसका निर्वाचन एकल संक्रमणिय अनुपातिक प्रक्रिया होता है। अफ्रीका रूप से घृप्त मनदान होता है।

* अनुपातिक पद्धति → इस पद्धति द्वारा चुनाव में हड़े सभी उम्मीदवारों के वारियता क्रम में बोट देना होता है।

* एकलसंकरणीय → इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के vote को लेकर आधिक vote पाए उम्मीदवार के vote में जोड़ दिया जाता है।

* प्रथम चरण की मतगणना → इसमें उम्मीदवार की पहली कमी वारियता सुची गिनी जाती है।

* द्वितीय चरण → इसमें द्वितीय वरियता सुची गिनी जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है।
→ वी. वी. जिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।



* अप्रत्यक्ष मतदान → राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनता भाग नहीं लेनी अल्ली अनता द्वारा दुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

* राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल → राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्यसभा तथा सभी शज्य (२९+२) [दिल्ली + पांचिंची] के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

→ विधान परिषद् राज्य सभा के १२ मनोनित सदस्य तथा लोकसभा के २ Anglo Indian राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
→ मुख्यमंत्री जब विधान परिषद् का सदस्य होता तो कह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता।

→ 69 वां संसोधन 1990 हारा Delhi तथा पाणीचरी में विधान सभा का गठन किया गया।

→ 70 वां संशोधन 1990 हारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में दिल्ली तथा पाणीचरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किया गया।



* 1 MLA के vote का value →

$$1 \text{ MLA} = \frac{\text{राज्य की अनुसंध्या}}{\text{राज्य का MLA} \times 1000}$$

* 1 MP के vote का value →

$$1 \text{ MP} = \frac{\text{कुल MLA का वोट}}{\text{कुल संसद की संख्या}}$$

Note → भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर M.L.A का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है जब कि M.P का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11,000,00 वोट लगभग पड़ते हैं।

⇒ राष्ट्रपति की जमानत राशि :-

दुनाव लड़ने से पुर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत
के रूप में R.B.I के पास रखनी होती है।

यदी राष्ट्रपति के 1/8 भाग से कम वोट मिलेगा तो
राष्ट्रपति कि जमानत राशि अप हो जाएगी।

इसे अमानत अप होना चाहिए कहते हैं यह अपमान
कि स्थिरी है।

* भनुचंद्र-55 :- इसमें राष्ट्रपति का कोया कहते हैं अमानत
अप होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किन्तु
कोया से कम वोट पाने पर जीत हो तो प्रत्याशी को
भी हवा दिया जाता है।

$$\text{कोया} = \frac{\text{कुल वोट}}{\text{कुल प्रत्याशी} + 1}$$

$$\text{Total vote} = 60$$

$$\text{अमानत} = \frac{60}{6} = 10$$

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,

K, L, M.

$$\text{कोया} = \frac{60}{13+1} = \frac{60}{14} + 1 = \frac{74}{14}$$

$$= 6 \text{ लोगभाग}$$

अनुच्छेद 56 → इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

यदी राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो आती है तो व्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है। न कि व्ये हुए कार्यकाल के लिए।

Note → अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है।

* अनुच्छेद 57 - एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित ही सक्त है। अब तक डा. राजेन्द्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए हैं।

* अनुच्छेद - 58 योग्यता

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) 35 वर्ष आयु।
- (3) लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता।
- (4) 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो।

* अनुच्छेद 59 द्वारा/शर्तें -

- ① पांगल या दिवालियाँ न हो।
- (2) लोक सभा के पद पर न हो।
- (3) संसद या विधानसभा में किसी का भी सदस्य न हो।

उद्दीपनी कोई सदत्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे समय लेने से पूर्व उपने सबने कि सदत्यता यागनी पड़ती है।

Note → सरकारी नौकरी जाम का पद कहलाता है संसद मंत्री विधायक जाम के पद नहीं हैं ये अनता के सेवक हैं।

* अनुच्छेद-60 → राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च व्यायालय के मूल्य व्यायाधिश करती है। इसके अनुपस्थित में S.C के बैष ३० व्यायाधिशों में वरिष्ठ व्यायाधिश दिलाएंगे।

व्याधिक शक्ति → अनुच्छेद ७२ के अन्वर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तिया है। राष्ट्रपति क्षमा करने से शुरू हुए मंत्रालय की सलाह लेता है यह ५ प्रकार के किसी सजा को माफ कर सकता है।

1. क्षमा : → जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पुरी रह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं।

2. लघुकरण : → इसमें राष्ट्रपति सजा कि प्रकृति को बहलते हैं किन्तु समय नहीं घटाते हैं।

3. फॉसी : → क्षमा कि सजा को आजीवन क्रावास इस साल कठोर क्रावास को इस साल साधाते क्रावास।

4. प्रतिहार : → इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किन्तु प्राकृति नहीं।

Eg → 10 साल कठोर क्रावास को 5 साल क्रावास
- इसका प्रयोग फाँसी की सजा पर नहीं हो सकता है

4. विराम → किसी केंद्री को खात्य उचित नहीं हो तो
उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए
रोक लगा देते हैं।

5. प्रतिलिंगन → राष्ट्रपति जब फाँसी की सजा की कुछ
समय के लिए रोक लगाता हो तो उसे प्रतिलिंगन
होते हैं यह इस लिए लगाया जाता है कि केंद्री
द्याचाचिका अपील कर सके।

Note → राष्ट्रपति Civil Court तथा सेना कि गौर्ट द्वारा कि
सजा माफ कर देते हैं जब कि राज्यपाल केवल
Civil Court की सजा माफ कर सकता है [मौत
कि सजा राज्यपाल छोड़कर]

राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किन्तु घाँसी
एवं सेना कि सजा को माफ नहीं कर सकता।
⇒ अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना कि सजा को माफ
नहीं कर सकता है।

⇒ शैन्य शक्ति : यह तीनों सेना का प्रधान होता है अतः
यह किसी देश से युद्ध/विराम कि घोषणा
करता है।

⇒ राजनीतिक शक्ति : यह भारत के राजदूत को विदेश में
भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने
कि अनुमति देता है।

विदेश जाने वाले भी राष्ट्रपति

से अनुमति लेकर जाते हैं।

* राष्ट्रपति की अपारकालीन शक्तियाँ →

1. राष्ट्रीय अपार अनुच्छेद 352 - जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्वां हो जाए तो मंत्रीमण्डल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय अपार कि घोषणा करते हैं।
⇒ घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय अपार का अनुमोदित करना आवश्यक है।
यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भी इसे नहीं लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदित करेगी।
⇒ दोनों सदनों में अनुमोदित मिलने के बाद अपार हः माह तक लागू अनुमोदित अनंत काल तक बदला जा सकता है।
⇒ यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रीमण्डल सिफारिश के अपार लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुनिम की भूमि में दी जा सकती है।

राष्ट्रीय अपार का प्रमाण

1. इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है।
2. देश का संघीय दावा प्रमाणित हो जाता है।
3. अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 खिरः लागू हो जाता है इसी गई विभिन्न प्रकार कि स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है।
4. अनुच्छेद 359 अपारकाल के दैशन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि कह अनुच्छेद 20 और 21 को

झोड़कर किसी भी मुल अधिकार को स्थगित कर सकता है।

५. राज्य सरकार शक्ति विहिन हो जाती है।

६. संसद राज्यसुची के विषय में कानून बना सकता है।
किन्तु यह प्रभावी केवल १ साल तक रहता है।

Note: अनुच्छेद ३५२ में पहली बार मंत्रीमण्डल शब्द का चर्चा हुआ है।

⇒ अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है।

१. १९६२ — चीन घुट्ठ

२. १९७१ — कंगलाद्वीप संकट

३. १९७५ — अमेरिक अबॉर्टि

⇒ इसमें लोकसभा का कार्यकाल १ वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।

२. राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन →

यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक दृष्टि विफल हो जाए। अनुच्छेद ३५५ में कहा गया है कि —

एक संविधान के अनुल्प शासन करेगी।
अथवा

बहुमत की सरकार बाया ही शासन देगा। अनुच्छेद ३६८ में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के द्वितीय निर्देशों पर अर्थ देगी।

कोई राज्य उलंघन करेगा, तो राज्यपाल की सुवना पर मंत्रीमण्डल की सिफारिष पर इस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है।

⇒ राजकीय भपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना आवश्यक है।

यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन की पुर्व मंग है तो नई लोकसभा 80 दिन के भीतर करेगी। संसद के दोनों संघों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू होता है।

6-6 माह के बाद इसे अधिकतम तीन त्रिमिति तक लागू किया जाता है।

⇒ अपवाह के द्वय में अम्मू और काश्मीर में राजकीय भपात ही 3 वर्ष से अधिक तक रहता है।

⇒ पहली बार राजकीय भपात पंजाब (PEP) 1952 ई० में लागू हुआ।

* राजकीय भपात का प्रभाव → राज्य की सारी शास्त्रियों राज्यपाल के हाथ में रखी जाती है।

2. मुख्यमंत्री शक्तिविहीन।

3. राज्य की विधायी शक्तियाँ सांसद के बाद अली आती हैं।

4. राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है।

Note: राजकीय भपात के दोरान H.C में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं।

5. वित्तिय भपात अनुच्छेद - 360 → इसे U.S.A के संविधान से लाया गया है। इसे तब लाया जाता है जब उसे तब लाया जाता है जब अब ऐसा कि वित्तिय स्थिति काफी खराब हो।

- ⇒ इसे मैत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति भा जाते हैं
- ⇒ संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है।
- ⇒ यदि राज्यसभा ने अनुमोदक कर दिया तथा लोकसभा भी इसे नहीं लोकसभा 30 दिनों में भीतर अनुमोदित करेगी।
- ⇒ एक बार अनुमोदक मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तो यह नहीं हटता है।
- ⇒ यह अभी तक लागू नहीं है।

प्रभाव: → (1) राष्ट्रपति के वेतन को हाँड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाते हैं।
 2. सरकारी खर्च में कटौती की जाती है।
 3. Tax बढ़ा दिया जाता है।

अपात	संसद का अनुमोदन	नई लोकसभा
राष्ट्रीय अपात अनु० - 352	30 दिनों के अंदर	30 दिन
उचित अपात अनु० - 356	60 दिन	30 दिन
वित्तीय अपात अनु० - 360	60 दिन	30 दिन

* राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शाक्ति → इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी वच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के विशेष कानून पर किया जाता है। अर्थात् किसी की बहुमत न मिले तो करते हैं।

→ जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो
राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को P.M होना चाहिए
कर देते हैं और 90 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने
का कहते हैं।

यदि इसने 90 दिन के भीतर बहुमत
सिद्ध कर दिया तो वह PM होगा संव्याय दौवारा
चुनाव होगा।

* राष्ट्रपति की वीटी शक्ति → विधेयक का रोकने की
शक्ति को बीटी शक्ति कहते हैं यह नीन प्रकार
की है।

1. अर्थात् कारी बीटी → राष्ट्रपति जब विधेयक को पुरी तरह^{पूरी तरह}
रद्द कर देते हैं तो उसे क्षत्यंत कारी बीटी कहते
हैं। अब यह समाप्त हो चुका है।

2. निलंबकारी → राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए
जैरहते हैं।

3. Pocket / जैव बिटी → जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर
न कपना हस्ताक्षर दे नहीं उसे पुनर्विचार के लिए
जैरहते हैं। बल्कि उसे क्षेपने ही पास रख लें, तो उसे
Pocket बीटी कहते हैं।

⇒ ताक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी
अंन सिंह ने जैव बीटी का उपयोग किया है।

* विशेषाधिकार शक्ति → राष्ट्रपति पर दिवानी मुकदमा चलाया
जा सकता है। किन्तु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के
समय नहीं नहीं चलाया जा सकता है।

कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। अर्थात् यह
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

⇒ राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति
होते हैं।

अनुच्छेद - 61 → राष्ट्रपति का महानियोग → महानियोग शब्द केवल
राष्ट्रपति के लिए ~~महानियोग~~ प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया
U.S.A के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी
राष्ट्रपति पर महानियोग नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रपति पर महानियोग किसी
भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महानियोग
प्रारंभ करना है। उस सदन का 1/4 (२५.) सदस्य
अनुमोदित होता है। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन
2/3 बहुमत से महानियोग की पारित करता है।

⇒ जब एक सदन महानियोग पारित कर देता है तो
दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सुधना
राष्ट्रपति को दी जाती है।